

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कासोरिया

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कासोरिया व भू.अ.निं. शिवदा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् २०७०-७३ में खाता संख्या १०२ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
①	कासोरिया	१०२	रामु लैवा रामचन्द्र दास वैरागी	रामु एच.प. रामचन्द्र दास वैरागी

(स्तनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- ५२६/१२

दिनांक :- २०/६/१२

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री मन्नी रामु एच.प. रामचन्द्र दास को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(स्तनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा